गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र में स्थित नदी नयार नौगांव में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 15.11.2014 (अपरान्ह 2.00 बजे) स्थान राजकीय हाम्योपैथिक चिकित्सालय, व्यास घाट, पौड़ी गढ़वाल में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नदी नयार नौगांव में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 19.08.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, श्री बी0एस0 चलाल की अध्यक्षता में स्थान राजकीय हाम्योपैथिक चिकित्सालय, व्यास घाट, पौड़ी गढवाल में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0अधिकारी) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा अपरान्ह 2.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0 अधिकारी) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नदी नयार नौगांव में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा व हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 14.10.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप

भी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बी0एस0 चलाल, अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 10.157 है0 है। जो कि ग्राम नौगांव, तहसील पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री अंकित राणा द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसकी कुल राशि रू0 4.71 लाख प्रतिवर्ष होगी, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यो में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र में स्थित नदी नयार, ग्राम नौगांव में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण सार रूप में निम्नानुसार है–

1. **श्री रविन्द्र चन्द्र (ग्राम प्रधान), निवासी ग्राम नौगांव** द्वारा खनन/चुगान का विरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा एक प्रत्यावेदन भी दिया गया। **(संलग्नक–1)**

2. **श्री रामचन्द सिंह चौहान, निवासी ग्राम नौगाव** द्वारा कहा गया कि ग्रामसभा के लोगों को आशंकायें हैं कि नदी के तट से क्षेत्रफल 10.157 है0 क्या होगा? उनके द्वारा कहा गया कि जहां रास्ते जायेंगे/बनेंगे वहां ग्रामवासियों की खेती की भूमि है, इसमें हमें आपत्ति है। नौगांव नदी के तटों पर खनन होने से गांव को आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां पर रेत, बजरी एवं पत्थरों के चुगान से नदी के तट नीचे हो जायेंगे। उनके द्वारा कहा गया कि उनको प्राईवेट ठेकेदारों पर विश्वास नहीं है। चुगान/खनन से हम गांववालों को कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए।

3. **श्री संजय बिष्ट, निवासी ग्राम व्यासघाट** द्वारा पूछा गया कि क्या ग्रामसभा की गरीब जनता को अपने निजी निर्माण के लिये रेत, बजरी और पत्थर निशुल्क मिलेगा? एवं किसी के खेतों का कटाव होने पर क्या मुआवजा मिलेगा? क्या गरीब जनता को रोजगार मिलेगा? उनके सभी प्रश्नों का उत्तर परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा दिया गया।

4. **श्री विक्रम सिंह, निवासी ग्राम नौगांव** द्वारा कहा गया कि हम लोग खनन नहीं चाहते हैं और हमारे क्षेत्र में खनन नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि उनकी समस्याऐं कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है। वर्तमान में सड़कों के निर्माण से हम ग्रामवासियों को बड़ी परेशानी हुई थी। इसलिये हम क्षेत्रवासी किसी भी विभाग पर विश्वास नहीं करते हैं और हम सब इस क्षेत्र में खनन का विरोध करते हैं।

5. **श्री मनोहर सिंह, निवासी ग्राम नौगांव** द्वारा कहा गया कि गांव की तरफ से एक फैसला है और सबका एक मत है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार से खनन नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगायी जाये। खनन होने से पर्यावरण को नुकसान, होगा, श्मशान घाट को क्षति होगी और क्षेत्रीय जनता को भी परेशानी होगी। इसके अतिरिक्त खनन/चुगान होने से क्षेत्र में ट्रकों की आवाजाही और भीड़भाड़ होने से पर्यटन भी प्रभावित होगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि खनन से कटाव अधिक होगा, जिससे हमारे क्षेत्र का स्तर ऊँचा हो जायेगा। हमारे पशु–जानवर को और उनके चारागाह को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिये हम सब ग्रामवासी इस क्षेत्र में होने वाले चुगान/खनन का विरोध करते हैं

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन कार्य से पूर्व खनन क्षेत्र में सीमांकन का कार्य किया जायेगा। सरकारी भूमि में खनन होने से अवैध खनन नहीं होगा, जिससे खनिज दर स्वतः कम हो

जायेगी। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

अन्त में सभा में उपस्थित जन समुदाय से खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त किये जाने हेतु हाथ खड़े करने का अनुरोध किया गया, जिसमें उपस्थित जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी। उपस्थित जन समुदाय द्वारा उक्त क्षेत्र में खनन का विरोध किया गया।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03 सैट
2. डी0वी0डी0 – 03 सैट
3. उपस्थिति पंजिका – 03 सैट

(डा0 अजीत सिंह)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

(बी0एस0 चलाल)
अपर जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

(संलग्नक - 1)

दिनांक 15/11/2014

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,
विकास खण्ड कोट तहसील पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल

विषय :- गंगा व नयार के संगम में खनन विरोध हेतु प्रस्ताव

महोदय, समस्त ग्रामवासी ग्राम नौगांव व समस्त क्षेत्रीय जनता को प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि व्यासघाट क्षेत्र में गंगा व नयार नदी के किनारे खनन के लिये योजनाएं बनायी जा रही है, जिसका समस्त क्षेत्रीय जनता इस खनन का विरोध करती है।

अतः महोदय से निवेदन है कि क्षेत्रीय जनता और पर्यावरण, कृषि भूमि, स्वच्छ पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय जनता की तरफ से अनुरोध है, कि हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति व शमशान घाट (लगभग तीन कि० मी०) के साथ खिलवाड़ न किया जाय,

अतः महोदय से अनुरोध है कि समस्त क्षेत्रीय जनता इस परियोजना का विरोध करती है।

समस्त क्षेत्रीय जनता

1. आलमसिंह [signature]
2. हीरासिंह [signature]
3. मनोहरसिंह [signature]
4. विक्रमसिंह [signature]
5. हरीशसिंह [signature]
6. रामचन्द्रसिंह - [signature]
7. गोमती देवी — गौमती देवी
8. लक्ष्मी देवी — लक्ष्मी देवी
9. कु० लक्ष्मी — laxmi
10. शिवानी देवी — शिवानी

[stamp: प्रधान ग्राम पंचायत नौगांव, ह० [signature], दि० 15/11/14, विकासखण्ड कोट पौड़ी गढ़वाल]

ग्राम सभा नौगांव
वि० खं० कोट
तहसील पौड़ी
जिला पौड़ी गढ़वाल

(12) मंगली देवी मालपा देवी

(13) सतेश्वरी देवी देवी

(14) देवेश्वरी देवी नि०

देवी

(15) सावित्री देवी देवी

(16) MS Bisht [illegible]

17 [illegible]

(18) [illegible]

(19) [illegible]

20 देवराज सिंह

(21) [illegible]

(22) [illegible]

(23) [illegible]

लोक सुनवाई, दिनांक 15/11/14
समय: 2:00 बजे

नयार नदी, नौगांव जनपद पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा चुगान/खनन हेतु दिनांक 15/11/2014 को समय 2:00 बजे अपराह्न स्थान राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सालय ल्यास घाट, पौड़ी गढ़वाल में आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका:-

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
1-	श्री. एस. [illegible] Adm पौड़ी	ADm पौड़ीगढ़वाल		[signature]
2.	एस. एस. रावत [illegible] अधिकारी	Z. D. Pauri Garhwal	9412983877	[signature]
3.	डी. एस. रावत [illegible] अधिकारी	—	—	—
4.	STO [illegible]	DEPP(D) D.Dm	9411178364	[signature]
5.	ए. एस. मेहता	G.M.V.N. Ltd	9412956365	[signature]
6	रविन्द्र ग्रा0 प्रधान नौगांव [illegible] कोट	ग्राम-डेल्डु, पो0 [illegible] पट्टी [illegible] पौड़ी गढ़वाल	8057810782	[signature]
7	रामचन्द सिंह चौहान	ग्रा. नौगांव पो. [illegible]	9837806388	
8	आलमसिंह रावत	-do-	01368-21666	[signature]
9	मनोहर सिंह	"	9938944215	[signature]
10	कलीसिंह	"	9756813191	[signature]
11	हरिसिंह	"	9012675376	[signature]

(12) मंगली देवी मालपादेवी

(13) सतेश्वरी देवी देवी

(14) देवेश्वरी देवी

देवी

(15) सावित्री देवी देवी

(16) MS Bisht [illegible]

17 [illegible]

(18) [illegible]

(19) [illegible]

20 देवेन्द्र सिंह

(21) [illegible]

(22) [illegible]

(23) [illegible]

Date ________
Page ________

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
13	सोबनसिंह	ग्राम हैड़ [illegible]	8954928360	[illegible]
14	[illegible]सिंह	ग्राम हैड़ [illegible]	—	[illegible]
15	[illegible]	ग्राम [illegible]	-	[illegible]
16	[illegible]सिंह	ग्राम - हैड़	8006978617	[illegible]
17	लक्ष्मणसिंह	ग्राम हैड़	9639127260	[illegible]
18	महावीर सिंह	ग्राम हैड़.	9837236071	[illegible]
19	[illegible]सिंह	ग्राम [illegible]	8449155433	[illegible]
20	laxmi	Noogaun	9568276083	laxmi
21	MANOJ Singh	Nougaon	9837542373	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	~~9675~~	[illegible]
23	ओमप्रकाश	[illegible]	9012778357	ओमप्रकाश
24	[illegible]	[illegible]		
30	[illegible]	[illegible]	9675042292	[illegible]
31	Varun Bhardwaj	GIRC Company	3126419494	[illegible]